राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 211 फरवरी 2017 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

चर्चा में नैतिक पतन

हाल में बेंगलुरु और देश के अन्य भागों में महिलाओं पर यौन हिंसा की हुई घटनाओं ने समूचे देश में ऐसे बार-बार होने वाले अत्याचारों के कारणों पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता पर जोर दिया है, विशेषकर ऐसे देश में जहां कभी महिलाओं को देवी से महिमामंडित किया जाता था। भारत विश्व में न केवल एक सर्वाधिक महिला-संवेदनहीन देश बन गया है अपितु इसे महिलाओं के लिए एक सबसे अधिक असुरक्षित देश होने का दर्जा भी प्राप्त हुआ है।

दिसम्बर, 2016 में निर्भया कांड की घटना के परिणामस्वरूप सरकार और सिविक एजेंसियों द्वारा बनाए गए अनेक कानूनों, नियमों और विनियमों और लिए गए उपायों के बावजूद हमारे समाज में ऐसी बुराई समाप्त नहीं हो रही है। महिलाओं पर यौन हिंसा की जाती है, उनके साथ बर्बरता से व्यवहार होता है और बिना किसी डर से उनकी तस्करी की जाती है। अब समय आ गया है कि हम सब देखें कि पुरुष इस तरीके से ऐसा क्यों करता है और सामान्यतः तथा विशेषकर भारतीय पुरुष के साथ क्या कमी है।

पहले दिन से ही जब कन्या शिशु का जन्म होता है, अनेक माता-पिता उसके साथ भेदभाव करते हैं क्योंकि उनकी बालक शिशु की चाहत को धक्का लगता है। इस तरह पालने से कब्र तक अपने भाइयों की तुलना में उसे महिला अन्याय के अनेक रूपों को सहना पड़ता है चाहे वह पोषाहार, शिक्षा, स्वतंत्रता हो। कन्या के प्रति बेअदबी व्यवहार के बीज बो दिए जाते हैं। जब बालक लड़कपन से पुरुष होने की स्थिति में आते हैं तो वे महिलाओं को आनन्द तुष्टि की वस्तु और सामग्री समझते हैं जैसा कि उनके पिता और पूर्वज समझते थे। जैसाकि एक प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा था, "बच्चे महिलाओं के प्रति जन्मजात हिंसक अथवा आक्रामक अथवा अनादरपूर्ण नहीं होते हैं। वे अपने से बड़े और अन्य स्रोतों से ऐसा सीखते हैं।" इसलिए महिलाओं के प्रति आदर भाव न केवल पारिवारिक ढ़ांचे में होना चाहिए अपितु सार्वजनिक स्थानों में भी होना चाहिए और महिला-पुरुष बराबरी और महिला के प्रति संवेदनशीलता स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिला शिक्षा के साथ पुरुषों में बचपन से ही डाली जानी चाहिए।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए व्यक्तिगत तौर पर, अथवा कारोबार, लाभ रहित संस्थाओं, सरकार अथवा सिविल सोसाइटी से संबंधित लोगों के लिए महिलाओं और लड़कियों के प्रति आदर को पुनः स्थापित करने और उनके प्रति आदर का भाव दूसरों के मन में डालने की भूमिका निभाने का दायित्व है। इस समय "मेरा" अथवा "हमारा" प्राथमिकता बन गई है और अन्य को महत्व नहीं दिया जाता। इसके विपरीत हमारे लिए इस आदर्श को "अपनाने" की आवश्यकता है ताकि स्थायी परिवर्तन लाया जा सके।

तथापि, पुरुषवादी दृष्टिकोण और मानसिकता में परिवर्तन लाने में समय लगेगा। तब तक सरकार के लिए जरूरी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। उसे विधि व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए और महिला संबंधित मामलों को शीघ्र और प्रभावी तौर से, जिसमें कठोर दंड देने की व्यवस्था हो, निपटाने के लिए अधिक संख्या में त्वरित कोर्ट की स्थापना करनी चाहिए। आपराधिक न्याय व्यवस्था के प्राधिकारियों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए ताकि वे हिंसा की पीड़ित महिलाओं के लिए सहानुभूति पैदा कर सकें, उन्हें अपने मानसिक आघात और शर्म की भावना से छुटकारा दिलाने में सहायता कर सकें। अंत में मीडिया को सरकार द्वारा तत्काल की गई कार्रवाई को उजागर करने में सरकार का प्रभावी सहयोगी बनना चाहिए ताकि अपराधी इस बात को समझें कि अपराध करने से कोई लाभ नहीं होता है।

महत्वपूर्ण निर्णय

- नए वर्ष की पूर्व-संध्या पर प्रधानमंत्री के भाषण के बाद नीति आयोग ने प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को, जिनकी अस्पताल में डिलीवरी होती है और उनके बच्चों को टीके लगते हैं, 6000 रुपये देने के लिए एक केबिनेट नोट तैयार किया है। यह कदम माँ की मृत्यु दर को कम करने और माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए है।
- सरकार ने यौन दुष्कर्म के बाल पीड़ितों की सहायता करने के लिए उन्हें 3 लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए निर्भया निधि से पीड़ित मुआवजा निधि बनाने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग को जनवरी, 2017 में प्राप्त शिकायतें

महीना	प्राप्त शिकायतें	प्राप्त कार्यवाही की गई रिपोर्ट	बंद शिकायतें
जनवरी 2017	1185	298	405

आयोग ने जनवरी, 2017 के महीने में 16 मामलों को स्वतः संज्ञान में लिया।

महिला नेतृत्व कॉनक्लेव

● राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने कनाडा के उच्चायोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित साउथ एशियन यंग वुमैन लीडरशिप कॉनक्लेव में भाषण दिया। मुख्य भाषण देते हुए अध्यक्षा ने युवा महिलाओं को जोर देते हुए कहा कि वे अपने आपको सशक्त बनाएं और परिवर्तन की कारक बनें। उन्होंने महिलाओं को सक्रियता के साथ नेतृत्व की भूमिका अपनाने और राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए कहा।

अध्यक्षा (सबसे बाएं) शहरी विकास मंत्रालय में हुई बैठक में भाषण करती हुई

● अध्यक्षा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्मार्ट शहरों को महिला संवेदनशील बनाने के लिए आयोजित बैठक में उपस्थित हुई।

स्वतः संज्ञान में लेना

● स्वतः संज्ञान में लेते हुए आयोग ने "हरियाणा के पंचकुला में बंदूक की नोक पर एक 21 वर्षीया इंजीनियरिंग विद्यार्थी के साथ बलात्कार" शीर्षक से प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट की जांच करने के लिए सदस्या रेखा शर्मा की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की। सदस्या ने इस संबंध में डॉक्टरों और उसके माता-पिता से बात की और बाद में पुलिस आयुक्त से मिली और उनसे जांच में तेजी लाने को कहा।

सदस्या रेखा शर्मा पुलिस आयुक्त, पंचकुला के साथ चर्चा करती हुई

सदस्या रेखा शर्मा सिरमौर जिले में दिमाना गांव की महिलाओं के साथ बात करती हुई

● सदस्या सुषमा साहू की अध्यक्षता में एक जांच समिति "केरल के पालाघाट जिले में एक महिला की कथित हत्या" के मामले की जांच करने के लिए गठित की गई। वह पीड़िता के परिवार के सदस्यों से मिली जिन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के अधिकारियों का रवैया लापरवाहीपूर्ण था और वे पीड़िता के घर तक नहीं गए जिसकी राजनीतिक हिंसा की एक घटना में थर्ड डिग्री बर्नस के कारण मौत हुई।

● श्रीमती सुषमा साहू "तिरुवनंतपुरम के केरल लॉ अकादमी में छात्राओं पर अत्याचार" की रिपोर्ट की जांच करने के लिए अकादमी गई और वहां लगभग 75 छात्रों से मिलीं जिन्होंने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल द्वारा छात्रों पर किए गए कथित अत्याचारों से उन्हें अवगत कराया। सदस्या ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने को कहा।

● एक रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि शादी के नाम पर "हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में महिलाओं और लड़कियों की तस्करी की जा रही है" की जांच करने के लिए सदस्या रेखा शर्मा की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई।

अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने सदस्य सचिव डॉ. सतबीर बेदी और सदस्य आलोक रावत के साथ 13 फरवरी, 2017 को नई दिल्ली में आई. आई.सी. में ब्रिटिश संसद सदस्यों के एक डेलीगेशन के साथ मुलाकात की। उनके साथ अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह करने वाली भारतीय महिलाओं/समुद्रपार देशों में पति या पत्नियों से संबंधित मामलों विशेषकर आयोग में पंजीकृत यू.के. के निवासियों के विरुद्ध मामलों पर चर्चा की गई।

राष्ट्रीय महिला आयोग का महिला योनि विच्छेद पर रोक लगाए जाने का समर्थन

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने कहा कि आयोग महिला योनि विच्छेद की प्रथा, जो भारत में 2 मिलियन बोहरा मुस्लिम समुदाय में प्रचलित है और उनके व्यक्तिगत मानव अधिकार का उल्लंघन है, को समाप्त करने के लिए कानूनी और अन्य विकल्पों की जांच करेगा। महिला योनि विच्छेद पर जीरो टोलरेंस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अध्यक्षा को 85,000 हस्ताक्षरकर्ताओं से इस विषय पर दो याचिकाएं प्राप्त हुई। इसकी शुरूआत 'एफ.जी.एम. पर बोलिए' और 33 ग्लोबल आर्गेनाइजेशंस के समूह द्वारा चेंज.आर्ग पर की गई थी। इसमें 'सहियो' भी शामिल है जिसने इस विषय पर अध्ययन कराया था।

अध्यक्षा याचिकाएं लेती हुई

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा हस्तक्षेप

● सदस्या रेखा शर्मा अगस्त, 2016 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बरहामपुर मानसिक रोग अस्पताल में महिला रोगियों की दशा के बारे में जानने और अस्पताल की बुनियादी सुविधाओं की जांच करने के लिए वहां गई। उन्होंने रोगियों की दशा को दयनीय पाया क्योंकि रोगियों को उचित खाना, कपड़े, बिस्तर, स्वास्थ्यकर अथवा मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जा रही थी। अस्पताल में बहुत अधिक रोगी थे और स्टाफ के पद खाली थे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकाारी वहां बहुत ही कम जाते थे। दिल्ली लौटने पर सदस्या ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक विस्तृत नोट भेजा जिसमें उन्होंने अपनी टिप्पणी और सिफारिशें दी थीं। पश्चिम बंगाल सरकार ने आयोग को 18 जनवरी, 2017 के नोट में लिखा कि अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है। ● श्रीमती शर्मा ने 21 जनवरी और 20 फरवरी, 2017 के बीच 11 सुनवाई करीं।

जन सुनवाई

राष्ट्रीय महिला आयोग ने जिला पुलिस और जिला विधि सेवा प्राधिकार के साथ सहयोग से 7 "महिला जन सुनवाई" आयोजित कीः-

सदस्या सुषमा साहू भोपाल में एक जन सुनवाई में

1. 17-18 जनवरी, 2017 को सदस्य आलोक रावत की अध्यक्षता में पश्चिम जिला, दिल्ली में 102 मामलों में से 82 मामलों को सुलझाया गया और बंद कर दिए गए।
2. 30-31 जनवरी, 2017 को सदस्या रेखा शर्मा की अध्यक्षता में गुरूग्राम, हरियाणा में 130 मामलों में से 120 मामलों को सुलझाया गया और आयोग द्वारा बंद कर दिए गए। मौके पर लिए गए 4 अन्य मामलों को भी जन सुनवाई में लिया गया और सुलझा दिया गया।
3. 31 जनवरी और 1 फरवरी, 2017 को सदस्य आलोक रावत की अध्यक्षता में जयपुर, राजस्थान में 135 मामलों में से 115 मामलों को सुलझाया गया और बंद कर दिए गए।
4. 1 और 2 फरवरी, 2017 को सदस्या सुषमा साहू की अध्यक्षता में भोपाल, मध्य प्रदेश में 93 मामलों में से 48 मामलों को निपटाया गया और 19 मामलों में भोपाल पुलिस को द्रुत कार्रवाई करने और अभियोग पत्र दायर करने के निदेश दिए गए। शेष 23 मामलों में संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को की गई कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए। 3 मामलों को मौके पर लिया गया और अग्रेतर कार्यवाही के लिए पुलिस प्राधिकारियों को भेजा गया।
5. 16 और 17 फरवरी, 2017 को सदस्य आलोक रावत की अध्यक्षता में अहमदाबाद, गुजरात में मामले देखे गए।
6. 17 और 18 फरवरी, 2017 को सदस्या सुषमा साहू की अध्यक्षता में फरीदाबाद, हरियाणा में 120 मामले लिए गए और इसमें से 100 से अधिक मामलों को बंद कर दिया गया। शेष मामलों में संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को द्रुत कार्यवाही करने के निदेश दिए गए। मौके पर 10 मामलों को भी लिया गया और अग्रेतर कार्यवाही के लिए पुलिस को भेजा गया।
7. 20 और 21 फरवरी, 2017 को सदस्या रेखा शर्मा की अध्यक्षता में उत्तरी जिला, दिल्ली में मामले देखे गए।

सदस्यों के दौरे

❖ सदस्या सुषमा साहू ने एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा कर्णाटक के संतपुर, बीदर में आयोजित एक लोक कला उत्सव का उद्घाटन किया। लगभग 3000 कलाकारों ने इस उत्सव में भाग लिया जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्णाटक से 2000 लोग शामिल थे। ● सदस्या ने कर्णाटक डिग्री कॉलेज के 1000 छात्राओं से परस्पर वार्ता बैठक की और बीदर में डी.सी. और अन्य जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। ● श्रीमती साहू बासवागिरी में एक महिला समावेश में उपस्थित हुई जिसमें महिला भजन मंडल और यूथ क्लबों से लगभग 4000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ● श्रीमती साहू कथित सामूहिक बलात्कार, पुलिस की उदासीनता और हत्या के एक मामले की जांच करने के लिए कोलकाता में हावड़ा गई। समिति ने उन परिस्थितियों की जांच की जिनके कारण मकानों, संपत्तियों और व्यक्तिगत सामानों को जलाने की घटनाएं हुई। समिति ने प्रभावित लोगों को कोई सहायता न देने के लिए पुलिस पर दोषारोपण किया।

सदस्या सुषमा साहू हावड़ा में शिकायतकर्ताओं से बात करती हुई

❖ सदस्य आलोक रावत अहमदाबाद गए और गुजरात पुलिस निदेशक और पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद और संबंधित जांच अधिकारियों और सहायक पुलिस आयुक्त से अहमदाबाद की महिलाओं से प्राप्त शिकायतों से संबंधित लंबित मामलों के बारे में चर्चा की। एसिड हमले के पीड़ितों के मामले में पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त और राज्य विधि प्राधिकार/डी.एल.एस.ए. के प्रतिनिधियों के साथ भी विस्तृत वार्ता हुई। विधि पदाधिकारी पीड़ितों को अंतरिम राहत देने और अन्तिम मुआवजा का समयबद्ध भुगतान निर्धारित करने की उपयुक्तता पर सहमत हुए। बाद में, सदस्य ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा से मुलाकात की और कुछ मामलों पर चर्चा की। ● सदस्य जयपुर गए और राजस्थान के पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त से जयपुर क्षेत्र की महिलाओं द्वारा की गई शिकायतों से संबंधित लंबित मामलों पर चर्चा की। राजस्थान राज्य महिला आयोग के सदस्य सचिव और अन्य पदाधिकारियों से एसिड हमले के पीड़ितों के बारे में विस्तृत चर्चा भी हुई।

विधि प्रकोष्ठ से

- राष्ट्रीय महिला आयोग ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट के साथ सहयोग से रांची के झारखंड पुलिस अकादमी में 13 से 15 फरवरी, 2017 तक "महिला पुलिस अधिकारियों के लिए महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों की जांच" पर क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया।
- आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक में 13 से 15 फरवरी, 2017 तक इसी प्रकार का एक कार्यक्रम भी आयोजित किया। इसमें सदस्य आलोक रावत उपस्थित हुए।
- तमिलनाडु पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, अशोक बागर ने चेन्नई में 21 से 24 फरवरी, 2017 तक एक और कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में अवर सचिव जी. नागराजन और जूनियर टेक्निकल एक्सपर्ट सुश्री रंजनी उपस्थित हुई।
- लॉ फैकल्टी, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 3 और 4 फरवरी, 2017 को एक विधि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

पी.पी.एम.आर.सी. प्रकोष्ठ से

आयोग ने फरवरी के महीने में निम्नलिखित विषयों पर चार सेमिनार आयोजित करने की स्वीकृति दी है :- (1) एकल महिलाएं और कठिन परिस्थितियों में महिलाएं से संबंधित विषय; (2) कौशल विकास के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण; (3) पर्यावरण अनुकूलता के लिए जैव विविधता संरक्षण में महिलाओं की भूमिका; और (4) शहरी क्षेत्रों में रहने वाली एकल महिलाओं को आवास की उपलब्धता में होने वाली कठिनाई से संबंधित मुद्दे।

आयोग ने फरवरी के महीने में निम्नलिखित विषयों पर तीन शोध अध्ययन आयोजित करने की स्वीकृति दी है :- (1) तमिलनाडु में घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षक अधिकारियों के सामर्थ्य को प्रभावित करने और सुगमयोग्य बनाने वाले आयाम; (2) संगठित क्षेत्रों में महिलाओं को मातृत्व लाभ : ओड़िसा में उच्च शिक्षा के सरकारी और निजी संस्थानों का तुलनात्मक विश्लेषण; और (3) दिव्यांग महिलाओं का प्रजनन अधिकार : लॉ एंड प्रेक्टिस

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110025 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।